प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.11.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.03.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री आकाश वालिया द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें अभियुक्त द्वारा वादी व अन्य लोगो को विदेश भेजने के नाम पर आनलाईन 1,86,000 रुपये ले लेना तथा फर्जी दस्वावेज तैयार कर वादी व अन्य लोगो को दे देना जिसके सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 420,467,468,471,120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

आज दिनांक 21.11.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 सैफ इस्लाम उर्फ अब्दुल्ला अंसारी पुत्र कमरुल निवासी मोहल्ला टाकान फैजान स्कूल के पास चौकी कस्बा देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 30 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त व उसके साथियो ने अपने नाम फर्जी रखे हुये थे व आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखे थे । अभियुक्त मौ0 सैफ इस्लाम, मांगेराम व रणवीर सिंह अपनी सारी टीम के आधार कार्ड में नाम,पता बदलते थे अर्थात फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे जिससे पुलिस पकड न सकें अभियुक्तगण लोगों से रुपये लेकर उन्हे विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज देकर धोखाधड़ी से रुपये ऐंठने का काम करते हैं । अभियुक्तगण एक आफिस किराये पर लेते थे और वहां पर फर्जीवाड़ा करके लोगों से रुपये ऐंठ कर भाग जाते थे और फिर दूसरी जगह आफिस ले लेते थे । अभियुक्तों का इससे पहले दिल्ली में आफिस था । इसी क्रम में इन्होने दिनांक 21/11/2023 को राम गोपाल अग्रवाल से महालक्ष्मी मैट्रो टावर सै0 4 वैशाली में तृतीय तल पर स्थित आफिस नं0 टी-18 किराये पर लिया था अभियुक्तगण द्वारा वैशाली वाली आफिस के माध्यम से काफी लोगों को फर्जी वीजा,फर्जी टिकट व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर रुपये ठगे हैं इस मामले में अभियुक्त के दो साथी मो0 मुकीम पुत्र गुलतजर नि0 सापला खतरी थाना देवबंद जिला सहारनपुर,मो0 मुफीद पुत्र गुलतजर नि0 सापला खतरी थाना देवबंद जिला सहारनपुर पूर्व में जेल जा चुके हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 सैफ इस्लाम उर्फ अब्दुल्ला अंसारी पुत्र कमरुल निवासी मोहल्ला टाकान फैजान स्कूल के पास चौकी कस्बा देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी मे धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 19.11.2025 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगे सिंह निवासी नायफल थाना वेव सिटी गाजियाबाद द्वारा थाना वेव सिटी पर अभियुक्तगण द्वारा अपनी पुत्री से दान दहेज की मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर अभियुक्तगण द्वारा अपनी पुत्री को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर मु0अ0सं0 345/2025 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । दिनांक 20.11.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त अंकित पुत्र स्व0 राजेश निवासी ग्राम करनपुर जट धौलाना थाना धौलाना हापुड उम्र 28 वर्ष को आई0एम0एस0 कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं करनपुर जट धौलाना हापुड का रहने वाला हूँ और मेरी शादी इस लडकी से फरवरी 2025 में हुई थी। मेरी बिना मर्जी के मेरी पत्नी अपने मायके चली जाती थी और मेरे द्वारा इस बात का विरोध करने पर हम दोनो में लडाई झगडे होते रहते थे रोज रोज के झगडों से तंग आकर एक दिन मैने इसको धमका दिया था तब से ये अपने मायके आ गयी थी और मेरी पत्नी ने 18 तारीख को आत्महत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- अंकित पुत्र स्व0 राजेश निवासी ग्राम करनपुर जट धौलाना थाना धौलाना हापुड उम्र करीब 28 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त अंकित पर थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 30,000/- रु0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 21.11.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक वसीम निवासी त्योड़ी 13 विस्वा, भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में निकाली गयी 30,000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर, गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक वसीम के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध में सम्बधित बैक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 21/11/2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 30,000 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा वापस करायी गयी। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर पर आकर थाना प्रभारी एवं साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.11.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का अपने घर से पडोस में आवश्यक काम है कहकर चले जाना व वापस न आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त गिरीराज किशोर पुत्र देवीदयाल निवासी ग्राम पचेरा थाना महगांव जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश उम्र करीब 31 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 21.11.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरीराज किशोर पुत्र देवीदयाल निवासी ग्राम पचेरा थाना महगांव जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश उम्र करीब 31 वर्ष को थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी की पुत्री से काफी समय से फोन पर बातचीत थी। मैं वादी की पुत्री को अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गिरीराज किशोर पुत्र देवीदयाल निवासी ग्राम पचेरा थाना महगांव जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाईकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 20.11.25 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त शुभम पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी- गली न0-6 गढी चौखण्डी थाना फेस-03 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता- ग्राम कन्सो थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष को साहिल पब्लिक स्कूल की ओर से आने वाले रोड से चैकिंग पाईन्ट नेहरु गार्डन से चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशानदेही पर डम्पिंग ग्राउण्ड से चोरी की 01 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 303(2),317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसने 01 मोटर साइकिल दिनांक 19.11.2025 की रात को वन्दना एन्कलेव खोड़ा कॉलोनी से चोरी की थी, आज इस मोटर साइकिल को लेकर जा रहा था तभी पुलिस की चैकिंग लगी देख कर भय से वापिस पीछे मुड कर भाग रहा था इस दौरान आपने मुझे पकड लिया। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने 01 अन्य मोटर साइकिल जिसको करीब 1 साल से पहले दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी से चोरी की थी, उस मोटरसाइकल को डंपिंग ग्राउण्ड के पास छिपा दिया रखा है उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- शुभम पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी- गली न0-6 गढी चौखण्डी थाना फेस-03 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता- ग्राम कन्सो थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष ।

वरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 02 मोटरसाईकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना दिल्ली एनसीआर में चोरी, अवैध शराब,अवैध असलहा के 05 अभियोग पंजीकृत है एवं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वाहन चोरी व छेड़कानी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।